>

Title: Need to permit discretionary sanction of Rs. 10 Lakhs per assembly constituency from the MPLADS funds annually.

श्री नारायण सिंह अमलाबे (राजगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद । लोकसभा सांसद के संसदीय क्षेत्र की जनसंख्या लगभग 12-13 लाख होती है तथा क्षेत्रफल भी बहुत विस्तृत होता है। मैं यूपीए सरकार का आभारी हूं कि उसने सांसदों को उनके संसदीय क्षेत्र में विकास कार्यों के संबंध में आने वाली समस्या को ध्यान में रखते हुए एमपीलैड्स की राशि लगभग ढाई गुना, 2 करोड़ रूपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रूपए कर दी है। इससे काफी हद तक संबंधित सांसद अपने संसदीय क्षेत्र में जनोपयोगी विकास कार्यों को स्वीकृत कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदया, सांसद के साथ क्षेत्र में भ्रमण के समय एक और समस्या प्रतिदिन आती है। वह यह है कि जब दौरे के दौरान उस क्षेत्र का संबंधित सांसद जाता है, तो क्षेत्र में आगजनी, जनहानि, फसल हानि, आकस्मिक दुर्घटना आदि की जानकारी लगती है तो उस समय वह उनकी मदद करने की तीव्र इच्छा रखते हुए भी मौके पर कोई राहत या सहायता राशि की घोषणा नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके पास ऐसी कोई स्वैच्छिक अनुदान जैसी राशि नहीं होती है।

महोदया, अतः मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि सांसद को उसके क्षेत्र में एमपीलैड्स की राशि में से प्रति विधानसभा में कम से कम 10 लाख रूपए स्वैच्छिक अनुदान के रूप में स्वीकृत करने संबंधी अधिकार होना चाहिए। इससे पूरा सदन सहमत होगा। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदया : श्री पन्ना लाल पुनिया अपने आपको श्री नारायण सिंह अमलाबे के विषय के साथ संबद्ध करते हैं।